बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांकः– प्र02/बोर्ड विविध–21/2010(खंड–1) पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय :– **राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति इकाई दी जा रही सब्सिडी के लिए "मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना" के रूप में नामित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः– स्वीकृत।

राज्य में बड़े पैमाने पर विद्युत संरचना को तैयार एवं सुदृढ़ करने का कार्य विगत कुछ वर्षों से किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012–13 के दौरान ग्रामीण इलाकों में 8–10 घंटे एवं शहरी क्षेत्रों में 16–20 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाती थी। परन्तु, विगत दो वर्षों से राज्य में ग्रामीण उपभोक्ताओं को औसतन 18–20 घंटे एवं शहरी उपभोक्ताओं को 22–24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसके अतिरिक्त विद्युत उपभोक्ता की संख्या भी 37,88,289 (नवम्बर, 2012) से बढ़कर मार्च, 2018 में 1,13,26,643 (औपबंधिक) हो गई है। चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंत तक विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर लगभग 1.39 करोड़ हो जायेगी।

2. राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विशेषकर ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिक्री दर उनकी भुगतान क्षमता के मद्देनजर आपूर्ति लागत से काफी कम निर्धारित किया जाता रहा है एवं दोनों वितरण कम्पनियों को रिसोर्स गैप के तहत् सब्सिडी स्वरूप वितीय सहायता प्रदान की जाती रही है। वित्तीय वर्ष 2016–17 तक वितरण कम्पनियों के अनुमानित वार्षिक व्यय में राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले सब्सिडी की राशि को घटाने के पश्चात् शेष राशि के आधार पर आयोग के द्वारा टैरिफ निर्धारित किया जाता था।

3. वर्ष 2017–18 के प्रभाव से टैरिफ याचिका आयोग के समक्ष शून्य सब्सिडी पर दायर किया जा रहा है एवं आयोग द्वारा वर्ष 2017–18 से हीं टैरिफ का निर्धारण लागत के आधार पर सब्सिडी रहित निर्गत किया जा रहा है। विदित है कि वर्ष 2017–18 के पूर्व वार्षिक राजस्व आवश्यकता का निर्धारण राज्य सरकार से मिलने वाली सब्सिडी की राशि को घटाने के पश्चात् ही विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिक्री दर निर्धारित किये जाते थे। फलस्वरूप ग्रामीण एवं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए संब्सिडी रहित विद्युत बिक्री दर में आयोग द्वारा अत्यधिक वृद्धि करना पड़ा।

4. लागत के आधार पर विद्युत उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित टैरिफ के निर्गत होने के कारण आयोग द्वारा ग्रामीण एवं घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत बिक्री दर में अत्यधिक वृद्धि संसूचित करना पड़ा, जिसे उपभोक्ताओं के द्वारा भुगतान करना काफी कठिन था। फलस्वरूप, राज्य सरकार के स्तर पर कतिपय विद्युत उपभोक्ता श्रेणी विषेषकर ग्रामीण एवं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विद्युत खपत में सब्सिडी दी जा रही है।

5. चालू वितीय वर्ष के लिए भी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति इकाई सब्सिडी की राशि देने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा दी गई है।

(57)

6. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति इकाई दी जा रही सब्सिडी के लिए **"मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना"** के रूप में नामित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7. उक्त राशि पूर्व की भाँति बजट मुख्य शीर्ष "2801–बिजली–उप, मुख्य शीर्ष–80–सामान्य लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता" मांग संख्या–10 उपशीर्ष–0004–बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड विपत्र कोड 10–2801801900004 विषय शीर्ष–33.01 सब्सिडी के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संखया 7355 दिनांक– 05.10.2017 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र02/बोर्ड विविध–21/2010 (खंड–1) के पृष्ठ संख्या– 116/टि0 पर दिनांक– 26.04.2018 को प्राप्त है।

10. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– प्र02/बोर्ड विविध–21/2010 (खंड–1) के पृष्ठ संख्या– 118/टि0 पर दिनांक 27.04.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र02/बोर्ड विविध–21/2010(खंड–I) **पटना, दिनांक–**

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र02/बोर्ड विविध–21/2010(खंड–I) 1225 **पटना, दिनांक–** 27/04/2018

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मा0 मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटनां/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा विभाग (3 प्रतियों में)/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0लि0/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना/अपर महाप्रबंधक प्रभारी (वाणिज्यिक), एन0टी0पी0सी0 लोकनायक जयप्रकाश भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

(2)